कृपया प्रकाशनार्थ **21 अगस्त 2012**

‘बॉम्बे’ हाइकोर्ट का नाम बदलकर ‘मुंबई’ करने का मौका प्रधानमंत्री ने गवाया - राम नाईक

मुंबई, मंगलवार : मुंबई उच्च न्यायालय का नाम अंग्रेजी ‘बॉम्बे’ हाइकोर्ट के बदले ‘मुंबई’ में परिवर्तित करने का सुनहरा मौका प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने उच्च न्यायालय के 150 वर्षपूर्ति समारोह में भाषण करते हुए गवाया. यह परिवर्तन करने के लिए तुरंत ठोस कदम नहीं उठाएँ तो हम ‘अन्य कदम’ उठाएंगे ऐसी चेतावनी भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह को दी है. यह जानकारी श्री. राम नाईक के कार्यालय से मुंबई में आज प्रकाशित विज्ञप्ती में दी हैं.

इस संदर्भ में अधिक जानकारी देते हुए श्री. राम नाईक ने कहा, ‘‘मेरे प्रयासों के फलस्वरुप अंग्रेजी ‘बॉम्बे’ के बदले ‘मुंबई’ यह नाम बदलने का निर्देश भारत सरकारद्वारा 15 दिसंबर 1995 को जारी हुआ. तदनुसार भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकारद्वारा सभी जगह पर नाम में परिवर्तन हुआ, किंतु उच्च न्यायालय में बॉम्बे हाइकोर्ट ऐसाही कहा जाता रहा. इस संबंध में मुख्य न्यायमूर्ति से पत्राचार करने के बाद उनकेद्वारा 28 अप्रैल 2006 को यह परामर्श दिया गया कि परिवर्तन करने की आगेवानी संसद को करनी होगी. तत्पश्चात महाराष्ट्र के कुछ सांसदों ने इस विषय की संसद में चर्चा की किंतू उन्हें सफलता नहीं मिली. मुंबई उच्च न्यायालय के 150 वर्षपूर्ति समारोह में प्रधानमंत्री उपस्थित रहने की जब घोषणा हुई तब इस समारोह में नाम में परिवर्तन करना उचित होगा तथा मुंबई के साथ महाराष्ट्र की जनता की अस्मिता का सम्मान भी होगा ऐसा पत्र 12 अगस्त को मैंने प्रधानमंत्री को लिखा. साथ ही साथ मुख्यमंत्री श्री. पृथ्वीराज चव्हाण को मिलकर उनको भी इस विषय में प्रधानमंत्री से चर्चा करने का अनुरोध किया. किंतु 18 अगस्त के संबोधन में प्रधानमंत्री ने परिवर्तन की घोषणा नही की. इसलिए मैं उनका घोर विरोध करता हूँ’’.

‘‘प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने संवेदनशीलता का परिचय दे कर बॉम्बे हाइकोर्ट का नाम मुंबई करने के लिए कानून में आवश्यक सुधार करना चाहिए. साथ ही साथ मद्रास और कलकत्ता हाइकोर्ट के नाम भी क्रमशः चेन्नई और कोलकाता करने चाहिए. 18 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने आयआयटी के विद्यार्थियों को भी मुंबई में संबोधित किया. इस आयआयटी बॉम्बे का नाम भी मुंबई में परिवर्तित करना चाहिए. इस विषय में प्रधानमंत्री तुरंत अपने विचार स्पष्ट करें’’ ऐसी माँग श्री. राम नाईक ने प्रधानमंत्री को 20 अगस्त को लिखे पत्र में की हैं.

(कार्यालय मंत्री)